

पंकज कुमार
आईओएसओ



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14- अशोक मार्ग, लखनऊ
ई-मेल : mduppc12@gmail.com
दूरभाष - (0522) 2288377 (का०) फ़ैक्स - (0522) 2288410
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांक: 739/मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू-दो/ओ0टी0एस0-2/2020-21

दिनांक: 15 मार्च, 2021

विषय-घरेलू (एल0एम0वी0-1) एवं निजी नलकूप (एल0एम0वी0-5) विद्युत दर श्रेणियों के बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं के लिए 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी हेतु लागू "एकमुश्त समाधान योजना" में पंजीकरण की अंतिम तिथि को विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

ई-मेल/
स्पीड पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक
मध्योच्चल/पूर्वांचल/पश्चिमोच्चल/दक्षिणोच्चल
विद्युत वितरण निगम लि०
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर

महोदय,

आप अवगत है कि कारपोरेशन के पत्रांक 28/मु0अ0 (वाणिज्य)/सीयू-2/ओ0टी0एस0-2/2020-21 दिनांक 28.02.2021 द्वारा एल0एम0वी0-1 (घरेलू) एवं एल0एम0वी0-5 (निजी नलकूप) श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं हेतु "एकमुश्त समाधान योजना" लागू की गयी है। तदक्रम में योजना मे निर्धारित पंजीकरण की अंतिम तिथि 15.03.2021 को विस्तारित कर पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2021 तक की जाती है। पंजीकृत उपभोक्ताओं को अवशेष धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि जो 31.03.2021 थी, वह पूर्व की भांति 31.03.2021 ही रहेगी।

योजना की अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

15/3/2021
(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

पत्र संख्या: /मु0अ0(वाणिज्य)/सीयू-दो/ओ0टी0एस0-2/2020-21 तद दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), बापू भवन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निजी सचिव, मा0 ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. निदेशक (वित्त/वितरण/काँ0प्ला0/का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता(आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक